

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]	दिल्ली, , अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 126
No. 162]	DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941	[N.C.T.D. No. 126

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा
(पुराना सचिवालय)
अधिसूचना

दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

फा.सं. 25(64)/2019/वि.स.स-VI/विधायी/1558.—माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा के निर्णय दिनांक 02.08.2019 के अनुपालन में छठी विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य को, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(ए) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (2), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 16 और दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत, दिल्ली विधान सभा के सदस्य होने से अयोग्य ठहराया है।

सदस्य का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम
श्री कपिल मिश्रा	70— करावल नगर

तदनुसार, श्री कपिल मिश्रा की सदस्यता 27 जनवरी, 2019 से दिल्ली विधान सभा से समाप्त कर दी गई है।

जिसके परिणाम स्वरूप, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-70 (करावल नगर) की सीट खाली हो गई है और सदन में एक सीट रिक्त हो गई है।

सी. वेलमुरुगन, सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY

(OLD SECRETARIAT)

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd August, 2019

F.No. 25(64)/2019/LAS-VI/Leg./1558.—In pursuance of Hon'ble Speaker, Legislative Assembly of NCT of Delhi's decision dated 02.08.2019, the following Member of the VI Legislative Assembly of NCT of Delhi has incurred disqualification from being a Member of Delhi Legislative Assembly in terms of Paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India read with Article 191(2) of the Constitution of India, Section 16 of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and Rule 8 of The Members of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1996.

NAME OF THE MEMBER	NUMBER & NAME OF THE ASSEMBLY CONSTITUENCY
Shri Kapil Mishra	70- Karawal Nagar

Accordingly, Shri Kapil Mishra ceases to be a Member of the Delhi Legislative Assembly with effect from 27th January, 2019.

Consequent upon this, the seat of Assembly Constituency – 70 (Karawal Nagar) has fallen vacant and a vacancy has occurred in the House.

C. VELMURUGAN, Secy.